संख्या- 13/2018/456/38-4-18-26(बजट)/2017

प्रेषक,

नागेन्द्र प्रसाद सिंह ,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0, लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 26 मार्च, 2018**

विषयः-प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु परिषद द्वारा हडको से लिए गये ऋण के ब्याज भुगतान के संबंध में (योजना संख्या-21162) ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में ग्रामीण आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या- 249/ग्रा0आ0परि0 दिनांक 23.03.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजनान्तर्गत हडको द्वारा लिये गये ऋण की तृतीय किश्त (पार्ट) रू0 9874.42733 लाख की धनराशि पर 8.85 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से दिनांक 22.03.2018 से 31.03.2018 तक 10 दिनों का ब्याज काटकर निर्गत की गयी है। ग्रामीण आवास आयुक्त द्वारा कटौती की गयी उक्त ब्याज की धनराशि रू0 23.9210 लाख आयुक्त, ग्राम्य विकास को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हडको द्वारा दिनांक 22.03.2018 को अवमुक्त तृतीय किश्त (पार्ट) की धनराशि रू0 9874.42733 लाख में से दिनांक 22.03.2018 से 31.03.2018 तक 10 दिनों के देय ब्याज की अग्रिम कटौती की धनराशि **रू0 23.94210 लाख (रू0 तेईस लाख चौरानवे हजार दो सौ दस मात्र)** वित्तीय वर्ष-2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत हडको ऋण के ब्याज के भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि में से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के आवास निर्माण में व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैंः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-1469/38-4-17-49(विविध)/2017, दिनांक 31 अक्टूबर,2017 में निहित प्राविधानों के अधीन आवास निर्माण में व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि में यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो उसके लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं उ0 प्र0 ग्रामीण आवास परिषद, लखनऊ स्तर पर वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे।

(3) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, उसके पश्चात् ही किया जायेगा ।

(4) समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु योजना की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जायेगा ।

(5) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(7)- स्वीकृत की जा रही धनराशि के भुगतान के पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 स्तर पर तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति के द्वारा अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे।

3- तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-2216-आवास 03-ग्रामीण आवास 800-अन्य व्यय 02-उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर ब्याज की अदायगी 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/ 2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
नागेन्द्र प्रसाद सिंह
विशेष सचिव ।

संख्या- 13 /2018/ 456 (1) /38-4-2018, तद्वदिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4
6- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
7- ग्रामीण आवास आयुक्त, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद, सी-6/270, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8- क्षेत्रीय प्रमुख, हडको, पिकप भवन, लखनऊ।
9- विशेष कार्याधिकारी, (बजट प्रकोष्ठ),ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
10- ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
11- गार्डबुक ।

आज्ञा से,
दिनेश चन्द्र पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।